

राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009  
सामूहिक विवाह हेतु संस्था का पंजीयन

प्रपत्र 1  
आवेदन पत्र  
(नियम 4(1))

जिला कलक्टर

महोदय,

सेवा में निवेदन है कि हमारी संस्था नियमित रूप से सामूहिक विवाहों का आयोजन करती आ रही है। अतः उक्त संस्था को राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत पंजीकृत करने का श्रम करें।

1. संस्था का नाम एवं पूर्ण पता—

2. टेलीफोन नंबर—

संलग्न दस्तावेज—

1. संस्था रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं संबंधित अधिनियम जिसके अंतर्गत संस्था रजिस्टर्ड है

2. संस्था के संविधान की प्रति

3. संस्था द्वारा अब तक किए गए सामाजिक कार्यों एवं सामूहिक विवाह आयोजनों के संबंध में अनुभवों का विवरण

घोषणा

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए तथ्य, जहाँ तक हमारी जानकारी है सही है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि प्रत्येक सामूहिक विवाह आयोजन से पूर्व राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अनुसरण में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा नियम 6 एवं 10 की पूर्ण रूप से पालना की जायेगी।

हस्ताक्षर संस्था सचिव  
(मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर)  
स्थान—

हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष  
(मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर)

दिनांक:—

संस्था की मोहर

साक्ष्य— (1) साक्षी के हस्ताक्षर मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर

(2) साक्षी के हस्ताक्षर मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर

राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम , 2009

संस्था का पंजीयन

प्रपत्र 2  
(रजिस्टर)  
(नियम 4(2))

क्र. सं.	पंजीयन		संस्था का नाम	सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं अधिनियम का नाम	कार्यालय का पता मय टेलीफोन नंबर आदि	पदाधिकारी नाम, पता व टेलीफोन नंबर	अन्य विवरण जो वांछित हो
	क्रमांक	दिनांक					
1	2	3	4	5	6	7	8



राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009  
संस्थाओं का पंजीयन

प्रपत्र 3  
(निमय 4(3))

क्रमांक

दिनांक

.....  
.....  
(संस्था का नाम व पता)

**विषय एवं प्रसंग—** राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत संस्था पंजीयन हेतु आवेदन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त प्रसंग में आपके आवेदन का यथोचित परीक्षण करने के पश्चात आपकी संस्था को राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के नियम 4(1) के अनुसरण में पंजीयन कर लिया गया है। संस्था के पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक निम्नप्रकार से है—

पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक .....

यह पंजीयन राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 की शर्तों के अधीन किया गया है। इस प्रकार के आयोजन में नियमों की अवहेलना होने पर यह पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

प्रत्येक सामूहिक विवाह के लिए संस्था को अलग से सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

स्थान—

हस्ताक्षर

दिनांक—

जिला कलक्टर

राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009  
सामूहिक विवाह हेतु आवेदन (अधिकृत संस्थाओं हेतु)

प्रपत्र 4  
(नियम 5(1))

सेवा में,

.....  
(जिला कलक्टर/प्राधिकृत अधिकारी)  
.....

महोदय,

निवेदन है कि हमारी संस्था दिनांक ..... को एक सामूहिक विवाह आयोजित करने जा रही है जिसकी विगत निम्नप्रकार से है—

1. संस्था का नाम मय पता व टेलीफोन नंबर
2. राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के नियम 4 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक व दिनांक (जैसा कि प्रपत्र 3 द्वारा सूचित किया गया है)।
3. विवाह स्थल का पूर्ण विवरण मय पता
4. विवाह में सम्मिलित होने वाले संभावित जोड़ों की संख्या
5. आयोजन में भाग लेने वाले कुल व्यक्तियों की संभावित संख्या
6. अन्य विवरण जो आवश्यक हो

**घोषणा**

मैं/हम, एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दिया गया विवरण, जहाँ तक मेरी/हमारी जानकारी है सही है।

मैं/हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि जिस स्थान को सामूहिक विवाह के लिए चयनित किया गया है वह उक्त विवाह के आयोजन हेतु पूर्ण सुरक्षित और उपयुक्त है। स्थल पर जल, बिजली और सफाई की समुचित व्यवस्था है। वहाँ आसानी से आवागमन, पार्किंग आदि की पूरी सुविधा है और उक्त स्थल पर विवाह के आयोजन से सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर किसी वाहन या व्यक्ति के आने-जाने में कठिनाई नहीं होगी और न ही शांति भंग होने की आशंका है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि विवाह की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात हम संबंधित चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी को पूरी सूचना देंगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस आयोजन में किसी भी ऐसे लड़के का जिसकी आयु 21 वर्ष से कम होगी अथवा लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होगी अथवा ऐसे व्यक्ति का जो व्यस्क होगा उसका विवाह 18 से वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ नहीं किया जायेगा।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस आयोजन में भाग लेने वाले जोड़ों का विवाह के पश्चात राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 16) के अंतर्गत शीघ्रातिशीघ्र विवाह पंजीयन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत उन सभी शर्तों का पालन किया जायेगा जिसकी संस्था से अपेक्षा है।

हस्ताक्षर संस्था सचिव  
(मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर)  
स्थान—  
दिनांक:—

हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष  
(मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर)

संस्था की मोहर

राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009  
सामूहिक विवाह हेतु आवेदन  
प्रपत्र 5  
(नियम 5(2))

सेवा में,

.....  
(जिला कलक्टर/प्राधिकृत अधिकारी)

महोदय,

सेवा में निवेदन है कि हमारी संस्था सामूहिक विवाहों का आयोजन करना चाहती है अतः उक्त संस्था को राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का श्रम करें।

1. संस्था का नाम एवं पूर्ण पता—
2. टेलीफोन नंबर—
3. विवाह स्थल का पूर्ण विवरण मय पता
4. विवाह में सम्मिलित होने वाले संभावित जोड़ों की संख्या
5. आयोजन में भाग लेने वाले कुल व्यक्तियों की संभावित संख्या

संलग्न दस्तावेज—

1. संस्था रजिस्ट्रेशन
2. संस्था के संविधान की प्रति
3. संस्था द्वारा अब तक किए गए सामाजिक कार्यों एवं सामूहिक विवाह आयोजनों के संबंध में अनुभवों का विवरण
4. अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो

**घोषणा**

मैं/हम, एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दिया गया विवरण, जहाँ तक मेरी/हमारी जानकारी है सही है।

मैं/हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि जिस स्थान को सामूहिक विवाह के लिए चयनित किया गया है वह उक्त विवाह के आयोजन हेतु पूर्ण सुरक्षित और उपयुक्त है। स्थल पर जल, बिजली और सफाई की समुचित व्यवस्था है। वहाँ आसानी से आवागमन, पार्किंग आदि की पूरी सुविधा है और उक्त स्थल पर विवाह के आयोजन से सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर किसी वाहन या व्यक्ति के आने-जाने में कठिनाई नहीं होगी और न ही शांति भंग होने की आशंका है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि विवाह की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात हम संबंधित चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी को पूरी सूचना देगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस आयोजन में किसी भी ऐसे लड़के का जिसकी आयु 21 वर्ष से कम होगी अथवा लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होगी अथवा ऐसे व्यक्ति का जो व्यस्क होगा उसका विवाह 18 से वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ नहीं किया जायेगा।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस आयोजन में भाग लेने वाले जोड़ों का विवाह के पश्चात राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 16) के अंतर्गत शीघ्रातिशीघ्र विवाह पंजीयन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत उन सभी शर्तों का पालन किया जायेगा जिसकी संस्था से अपेक्षा है।

हस्ताक्षर संस्था सचिव  
(मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर)  
स्थान—

हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष  
(मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर)

दिनांक—

संस्था की मोहर

साक्ष्य— (1) साक्षी के हस्ताक्षर मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर

(2) साक्षी के हस्ताक्षर मय नाम, पता व टेलीफोन नंबर

राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009  
सामूहिक विवाह हेतु अनुमति

प्रपत्र 6  
(नियम 7)

.....  
(संस्था का नाम)

.....  
(संस्था का पता)

विषय एवं प्रसंग— राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत संस्था पंजीयन हेतु आवेदन।

महोदय / महोदया,,

आपकी संस्था द्वारा दिनांक ..... को सामूहिक विवाह आयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रसंग में आपको राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 की शर्तों के अधीन सामूहिक विवाह आयोजन हेतु एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। यदि प्रस्तावित तिथि या स्थान में या किसी अन्य प्रकार से आयोजन में परिवर्तन किया जाए तो तत्संबंधी सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

भवदीय,

(जिला कलक्टर / सक्षम अधिकारी)  
कार्यालय मोहर / स्थान व दिनांक



राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009  
सामूहिक विवाह हेतु अनुमति

प्रपत्र 6 (क)  
(नियम 7)

जिले का नाम -

क्र.सं.	दिनांक	संस्था का नाम व पता	संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक मय संबंधित अधिनियम	मुख्य सम्पर्क व्यक्ति मय टेलीफोन नंबर व पता	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6



राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009

प्रपत्र 7  
अनुदान हेतु प्रस्ताव  
(दो प्रतियों में)  
नियम 14

जिला कलक्टर

.....

महोदय,

सेवा में निवेदन है कि हमारी संस्था दिनांक ..... को सामूहिक विवाहों का आयोजन करने जा रही है जिस हेतु राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत निम्नप्रकार से आवेदन प्रस्तुत है-

1.	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता-	
2.	संस्था रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं संबंधित अधिनियम जिसके अंतर्गत संस्था रजिस्टर्ड है	
3.	नियम 4 के अंतर्गत पंजीयन संख्या व प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति (यदि हो)	
4.	जिला कलक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा नियम 7 के अनुसार दी गई अनुमति की सत्यापित प्रति	
5.	सामूहिक विवाह आयोजन की दिनांक एवं स्थल	
6.	सामूहिक विवाह में सम्मिलित संभावित जोड़ों की संख्या व सूची	
7.	यदि पूर्व में इस प्रकार के आयोजन हेतु/अनुदान प्राप्त किया गया हो तो संक्षिप्त विवरण	

घोषणा

मैं/हम, घोषणा करते हैं कि प्रस्तावित आयोजन में -

1. एक बार में कम से कम 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जायेगा जैसा कि राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के नियम 2 के उपनियम (9) में उल्लिखित है।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक विवाहित जोड़े में लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी।
3. इस आयोजन में सम्मिलित सभी विवाहित जोड़ों का पंजीयन राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के नियम 10 के अनुसरण में कराया जाएगा।
4. \*(1)विवाह में सम्मिलित जोड़ों की सूची निर्धारित संलग्नक में संलग्न कर दी गई है अथवा  
\*(2)विवाह में सम्मिलित होने वाले संभावित जोड़ों की सूची अभी संलग्न नहीं की जा रही है। यह सूची विवाह आयोजन की तिथि के तीन दिन पूर्व निर्धारित संलग्नक अनुसार प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(1) व \*(2) में जो अनुपयुक्त हो उसे काट दें



5. हमारी संस्था 'राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009' के अंतर्गत सभी शर्तों का पालन करेगी और विवाह संपन्न होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगी।
6. संस्था प्रति जोड़ा अनुदान राशि की 75 प्रतिशत राशि निर्देशानुसार वधु के नाम डाकघर या अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा कराने में सहयोग देगी एवं वधुओं को इस प्रकार की जमा राशि के दस्तावेज देकर उनकी रसीद प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करायेगी।
7. विवाह आयोजन हेतु जो राशि अनुदान के रूप में संस्था को दी जाएगी वह उसी प्रयोजनार्थ व्यय होगी जिस हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है।

स्थान:—

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

दिनांक:—

संस्था की मोहर

संलग्नक— दस्तावेज

- (1) संस्था पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति
- (2) संस्था के कार्यों का पूर्ण परिचय (विशेषकर सामूहिक विवाह आयोजन के संबंध में कार्य और अनुभव)
- (3) विवाह आयोजन के संबंध में साक्ष्य—विवाह स्थल का आयोजन एवं अन्य तैयारियों संबंधी सूचना
- (4) भाग लेने वाले जोड़ों की संख्या
- (5) संभावित जोड़ों की सूची

#### कार्यालय उपयोग हेतु

'राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009' के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की मूल प्रति भेजकर लेख है कि उक्त आवेदन के तथ्यों की जांच/सत्यापित करते हुए अपनी अभियुक्ति/अनुशंसा के साथ प्रेषित करें।

जिला कलक्टर

प्राधिकृत अधिकारी (उपनिदेशक, मबावि)  
महिला एवं बाल विकास विभाग

#### अभियुक्ति/अभिशांसा

\*1— उपरोक्त आवेदन में दिए गए तथ्यों की जांच नियम 6 के उपनियम (2) के अनुसार गठित समिति द्वारा कर ली गई है। आवेदन में नियमानुसार निम्न कमियाँ पाई गईं जिनकी संस्था द्वारा पूर्ति करा ली गई है—

- (1)
- (2)
- (3)

अथवा




\*2 उक्त आवेदन के तथ्यों की पूर्ण जांच कर ली गई है। आवेदन में वर्णित तथ्य सही पाये गये हैं। आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत अनुदान हेतु प्रस्ताव स्वीकार करते हुए (इस आवेदन के साथ विवाह में सम्मिलित होने वाले जोड़ों की सूची संलग्न नहीं की गई है) आवेदक को सूचित करना उपयुक्त होगा कि विवाह आयोजन की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व वह सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले जोड़ों की संख्या मय सूची एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें। साथ ही विवाह संपन्न होने पर विवाहों का पंजीकरण करवा कर नियमानुसार प्रपत्र 2 में अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

अथवा

\*3 संस्था निम्न कारणों से अनुदान योग्य नहीं पाई गई—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

\*जो संबंधित न हो वह काट दें।

प्राधिकृत अधिकारी  
(उपनिदेशक)  
महिला एवं बाल विकास विभाग

जिला कलक्टर

उपरोक्तानुसार अनुमोदित/संस्था को सूचित करें।

जिला कलक्टर

प्राधिकृत अधिकारी  
(उपनिदेशक)  
महिला एवं बाल विकास विभाग



# राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009

सहमति-पत्र

प्रपत्र 8  
नियम 15(5)

श्री .....

.....  
(संस्था का नाम)

.....  
(संस्था का पता)

विषय-राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009  
प्रसंग-आपका आवेदन दिनांक .....

महोदय / महोदया,

सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत अनुदान हेतु प्रस्तुत आपके आवेदन के संदर्भ में सूचित करते हुए हर्ष है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

आपसे आग्रह है कि-

- (i) यदि संभावित जोड़ों की सूची आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है तो ऐसी सूची आयोजन तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रपत्र 7 में दिए गए संलग्नक के अनुसार प्रेषित करा दे;
- (ii) आयोजन संपन्न होने पर राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 16) के अंतर्गत शीघ्रातिशीघ्र सभी विवाहों का पंजीकरण कराने में अपना पूरा सहयोग दे;
- (iii) आयोजन पश्चात शीघ्रातिशीघ्र नियमों के प्रपत्र 9 में अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करावें जिसके साथ निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न करे ताकि अनुदान स्वीकृति में विलंब न हो;
- (iv) अन्य निर्देश, यदि कोई हो।

भवदीय

(प्राधिकृत अधिकारी)



(संलग्नक प्रपत्र 7)

सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले संभावित जोड़ों की सूची  
नियम 14(1) व 14(2)

वर पक्ष					वधु पक्ष				
क्र. सं.	वर का नाम मय पिता व माता का नाम	आयु	शैक्षणिक योग्यता	पूर्ण पता मय टेलीफोन नंबर, यदि हो	वधु का नाम मय पिता व माता का नाम	आयु	शैक्षणिक योग्यता	पूर्ण पता मय टेलीफोन नंबर, यदि हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009

सामूहिक विवाह अनुदान हेतु आवेदन

प्रपत्र 9  
नियम 15(7)

जिला कलक्टर  
.....

महोदय,

निवेदन है कि हमारी संस्था द्वारा पूर्व में दिनांक ..... को प्रस्तुत सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में ..... जोड़ों के सामूहिक विवाह संपन्न कराए गए हैं।

1. संस्था का नाम एवं पूर्ण पता—
2. संस्था रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं संबंधित अधिनियम जिसके अंतर्गत संस्था रजिस्टर्ड है
3. नियम 4 के अंतर्गत संस्था पंजीयन की विगत (यदि हो)
4. सामूहिक विवाह आयोजन की दिनांक एवं स्थल
5. सामूहिक विवाह में सम्मिलित वास्तविक जोड़ों की संख्या(सूची संलग्नक प्रपत्र 9) के अनुसार जिला कलक्टर अथवा सक्षम अधिकारी के अनुमति पत्र की प्रति)

अतः राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत निम्नप्रकार से अनुदान स्वीकृत करने का श्रम करें—

- (1) विवाह आयोजन हेतु—  
प्रति जोड़ा 25 प्रतिशत की राशि X जोड़ों की संख्या = कुल राशि  
(वर्तमान में— रूपए 1500 X जोड़ों की संख्या = कुल राशि)
- (2) वधु के नाम सावधि जमा हेतु राशि—  
प्रति जोड़ा 75 प्रतिशत X जोड़ों की संख्या = कुल राशि  
(वर्तमान में रूपए 4500 X जोड़ों की संख्या = कुल राशि )  
योग 1 +2 =

स्थान:—

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

दिनांक:—

संस्था की मोहर

संलग्न दस्तावेज—

- (i) संपन्न किये गये विवाहों की सूची;
- (ii) वधु और वर के आयु प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ;
- (iii) विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियाँ;
- (iv) नियम 7 के अनुसरण में जारी अनुमति पत्र की प्रति;
- (v) नियम 15(5) के अनुसरण में जारी सहमति पत्र (यदि हो);
- (vi) अन्य दस्तावेज

### घोषणा

मैं/हम घोषित करते हैं कि उक्त विवाह वास्तविक रूप में संपन्न कराए गए हैं एवं राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 की सभी शर्तों का पालन किया गया है, जैसा कि पूर्व आवेदन में अंकित है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के नियम 16(3)(ii) व नियम 16(4) के अनुसरण कार्यवाही में संस्था अपना पूरा सहयोग देगी।

स्थान:—

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

दिनांक:—

संस्था की मोहर

### कार्यालय उपयोग हेतु

तुरंत आवश्यक कार्यवाही हेतु

जिला कलक्टर

प्राधिकृत अधिकारी  
(उपनिदेशक)

महिला एवं बाल विकास विभाग

जिला महिला विकास अभिकरण/कार्यालय .....

राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 के अंतर्गत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण किया गया। तदनुसार निम्नप्रकार से अनुदान राशि स्वीकृत की जाने की अनुशंसा की जाती है।

- (1) विवाह आयोजन हेतु—  
प्रति जोड़ा 25 प्रतिशत की राशि X स्वीकृत योग्य जोड़ों की संख्या = कुल राशि  
(वर्तमान में— रूपए 1500 X जोड़ों की संख्या = कुल राशि)

- (2) वधु के नाम सावधि जमा हेतु राशि—  
प्रति जोड़ा 75 प्रतिशत X स्वीकृत योग्य जोड़ों की संख्या = कुल राशि  
(वर्तमान में रूपए 4500 X जोड़ों की संख्या = कुल राशि )  
योग 1+2 =

उपनिदेशक  
महिला एवं बाल विकास विभाग

जिला कलक्टर

\* (1) निम्न आक्षेपों की पूर्ति कराएँ

- (1)  
(2)  
(3)

अथवा

\* (2) प्रस्तावानुसार अनुमोदित

\* जो संबंधित न हो वह काट दिया जाए।

जिला कलक्टर

भुगतान किया गया—

1. राशि रूपए ..... संस्था को आयोजन में सहयोग हेतु

चैक / ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... बैंक .....

2. राशि रूपए ..... वधुओं के नाम सावधि जमा हेतु (वधुओं की संस्था X प्रति वधु स्वीकृत राशि)=

चैक / ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... बैंक .....  
(सूची संलग्न)

प्राधिकृत अधिकारी

प्राप्ति हस्ताक्षर

संस्था के प्राधिकृत अधिकारी



(संलग्नक प्रपत्र 9)

सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले वास्तविक जोड़ों की सूची

क्र.सं.	वर पक्ष				वधु पक्ष					
	वर का नाम मय पिता व माता का नाम	आयु	शैक्षणिक योग्यता	पूर्ण पता. मय टेलीफोन नंबर, यदि हो	वधु का नाम मय पिता व माता का नाम	आयु	शैक्षणिक योग्यता	पूर्ण पता मय टेलीफोन नंबर, यदि हो	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, 2009 के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र का क्रमांक व दिनांक (प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न)	विवाहित जोड़े का फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11





राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009

जिले में आयोजित सामूहिक विवाह संबंधी सूचना

प्रपत्र 10  
नियम 18 (i)  
मासिक सूचना

जिला .....

इस माह सामूहिक विवाहों हेतु जारी अनुमति		इस वर्ष अब तक संपन्न सामूहिक विवाह (अनुमति के आधार पर)		विशेष विवरण
संख्या	कुल जोड़े	संख्या	कुल जोड़े	

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर

आयुक्त / निदेशक  
महिला अधिकारिता  
राजस्थान, जयपुर



कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग  
राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009

प्रपत्र 11  
नियम 18 (ii)  
मासिक सूचना

माह .....

(क) भौतिक प्रगति

(i) अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन संबंधी सूचना

इस वर्ष में गत माह तक अनुदान हेतु आवेदन		रिपोर्टिंग माह में आयोजित सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन		इस वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	
आवेदनों की संख्या	आयोजन में विवाहित जोड़ों की संख्या	आवेदनों की संख्या	आयोजन में विवाहित जोड़ों की संख्या	आवेदनों की संख्या	आयोजन में विवाहित जोड़ों की संख्या
1	2	3	4	1+3	2+4
				5	6

(ii) आवेदनों का निस्तारण

इस वर्ष के प्रारंभ से गत माह तक बिना निस्तारित/लंबित प्रकरण	रिपोर्टिंग माह में प्राप्त आवेदन	रिपोर्टिंग माह तक अनुदान हेतु लंबित कुल आवेदन	गत माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या	रिपोर्टिंग माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	रिपोर्टिंग माह तक निस्तारित कुल आवेदनों की संख्या	शेष
1	2	1+2	4	5	4+5	3-6
						7

(ख) वित्तीय प्रगति ( वित्तीय वर्ष .....- .....)

गत वर्ष की शेष राशि	इस वर्ष प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	इस वर्ष गत माह तक व्यय राशि	रिपोर्टिंग माह में व्यय राशि	रिपोर्टिंग माह तक कुल व्यय राशि	शेष राशि
1	2	1+2	4	5	4+5	3-6
						7

(ग) इस माह योजना प्रोत्साहन हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी  
(उपनिदेशक)  
महिला एवं बाल विकास विभाग

आयुक्त/निदेशक  
महिला अधिकारिता  
राजस्थान, जयपुर

आज्ञा से

शासन सचिव  
महिला एवं बाल विकास विभाग